न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, दुमका

आवेदन पत्र वाद सं0–230/2016

सोनालाल बेसरा वगै0 बनाम **वादो सोरेन वगै0**

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
8.11.18	**आदेश** प्रस्तुत वाद आवेदक के आवेदन पत्र पर प्रारंभ करते हुए संबंधित थाना प्रभारी से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं विपक्षी को नोटिस किया गया है। थाना प्रभारी, जामा से जांच प्रतिवेदन एवं विपक्षी से कारणपृच्छा प्राप्त। जामा थाना अन्तर्गत मौजा पीपरा के जमाबन्दी सं0–8 (पुराना), जमाबन्दी सं0–14 (नया) के नया दाग सं0–516, 625, 628, 632, 633, 841 एवं 582 जिसका रकवा क्रमशः 13 डी0, 23 डी0, 15 डी0, 44 डी0, 21 डी0, 42 डी0 एवं 27 डी0 स्थित भूमि पर द0प्र0स0 की धारा 144 के तहत् कार्यवाही प्रारंभ करने के बिन्दु पर दोनो पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध थाना प्रभारी, जामा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं अन्य लेख्यात्मक साक्ष्यों का अवलोकन किया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विषयगत भूमि गैंजर खतियान में डोडमा मुर्मू एवं धाने मुर्मू दोनो पिता–सकला मुर्मू के नाम दर्ज है। वंशावली के अनुसार गैंजर खतियानी रैयत डोडमा मुर्मू को एक वारिश सकला मुर्मू। सकला मुर्मू को दो वारिश धुमा मुर्मू एवं मंगली मुर्मू। धुमा मुर्मू को एक वारिश शनि मुर्मू (पुत्री) पति–जोपु सोरेन नावल्द मृत। मंगली मुर्मू (पुत्री) पति–मुसुज बेसरा को चार वारिश–सोनालाल बेसरा, सकला बेसरा, टीपा बेसरा एवं लखी बेसरा। सोनालाल बेसरा एवं सकला बेसरा वर्तमान कार्यवाही में प्रथमपक्ष है। विषयगत भूमि के अन्य गैंजर रैयत धाने मुर्मू की मृत्यु नावल्द हुई है। उपरोक्त वंशावली से स्पष्ट होता है कि आवेदक प्रथमपक्ष खतियानी रैयत डोडमा मुर्मू के वारिशान है। इसलिए विषयगत भूमि पर उनका वैद्य हक एवं अधिकार बनता है एवं दखल कब्जा में है। लेकिन विपक्षी द्वारा आवेदक के दखल कब्जा में व्यवधान उत्पन्न कर विषयगत भूमि हड़पना चाहते है एवं आवेदक को विषयगत भूमि जोत आवाद करने पर जान से मारने की धमकी देते है, जिससे पक्षकारों के बीच तनाव बना हुआ है तथा शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना बनी हुई है। इसलिए विषयगत भूमि पर द0प्र0स0 की धारा 144 के तहत् कार्यवाही प्रारंभ किया जाय। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक के आवेदन पत्र न्यायसंगत नहीं है। विषयगत भूमि गैंजर खतियान में गोडमा मुर्मू एवं धानाय मुर्मू दोनो पिता–सोकला मुर्मू के नाम दर्ज है। वंशावली के अनुसार गैंजर खतियानी रैयत गोडमा मुर्मू को एक वारिश सोकला मुर्मू। सोकला मुर्मू को एक वारिश धुमा मुर्मू। धुमा विषयगत भूमि के वर्तमान खतियानी रैयत है, जिसकी मृत्यु नावल्द हुई है। विषयगत भूमि के अन्य गैंजर खतियानी रैयत धानाय मुर्मू को एक पुत्री वारिश मुखानी मुर्मू, जिसकी शादी वैगडु सोरेन के साथ घरजमाई रीति से हुई है। विपक्षी वैगडू सोरेन के वारिश है। वैगडू सोरेन के मृत्युपरांत एवं विषयगत भूमि के वर्तमान खतियानी रैयत धुमा मुर्मू के	